भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 350

उत्तर देने की तारीख 19/12/2024

ओडिशा में भूमि अर्जन

350 श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान ओडिशा में सरकारी और गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए कुल कितनी जनजातीय भूमि अर्जित की गई;

(ख): क्या सरकार ने प्रभावित जनजातीय समुदायों को कोई मुआवजा पैकेज प्रदान किया है और यदि हां, तो इस संबंध में लाभार्थियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अर्जनों के कारण कितने व्यक्ति/परिवार विस्थापित हुए तथा उनके पुनर्वास की स्थिति क्या है और इस संबंध में प्रदान की गई सहायता और सुविधाएं क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं कि भूमि अर्जन में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के उपबंधों का अनुपालन हो?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

“ओडिशा में भूमि अर्जन” के संबंध में श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 350 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) जो कि भूमि संबंधी मामलों के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय है, ने सूचित किया है कि भूमि और उसका प्रबंधन भारत के संविधान (सातवीं अनुसूची- सूची II (राज्य सूची)- प्रविष्टि संख्या (18) के तहत राज्यों के अनन्य विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

इसके आगे भूमि अधिग्रहण का कार्य डीओएलआर द्वारा प्रशासित किये जा रहे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (आरएफसीटीएलएआरआर), 2013 सहित, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत किया जाता है। विस्थापित/प्रभावित परिवारों का डेटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। हालाँकि, सरकार विभिन्न कानूनों के तहत जनजातीय समुदायों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के संबंध में राज्य सरकारों को सलाह देती रही है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विशेष प्रावधान **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय, एफआरए के विधायी मामलों की निगरानी और प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, ओडिशा सहित संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एफआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ, दूसरे मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय निगरानी समिति, जो आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण (अर्जन) के संबंध में स्थापित एक वैधानिक निकाय है, राहत और पुनर्वासन प्रयासों की प्रगति का आकलन करने के साथ-साथ राष्ट्रीय परियोजनाओं से संबंधित शिकायतों की भी नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करती है और कार्यान्वयन एजेंसियों को सिफारिशें प्रदान करती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ओडिशा सहित देश भर में सरकारी और गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित जनजातीय भूमि से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखता है।

अनुलग्नक

"ओडिशा में भूमि अर्जन" के संबंध में श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 350 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में विशेष प्रावधान हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(1) **अनुसूची-V के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान** भूमि अधिग्रहण (अर्जन) आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को निषेध या प्रतिबन्धित करने तथा ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करने का अधिकार है। संविधान की अनुसूची V के पैरा 5.2 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में किसी जनजातीय व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।

(2) **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996** (संक्षेप में पेसा) में प्रावधान भी है कि "विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण (अर्जन) करने से पहले तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को पुनः बसाने या पुनर्वासित करने से पहले ग्राम सभा या उचित स्तर की पंचायतों से परामर्श किया जाएगा।"

(3) **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम** (संक्षेप में एफआरए) 2006 में अधिनियमित किया गया था, जो न केवल जनजातीय आबादी के किसी भी विस्थापन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि जमीनी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता और निहितीकरण की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक संस्थाओं को शामिल करने का भी प्रयास करता है।

क) एफआरए की धारा 4(4) में यह प्रावधान है कि यह अधिकार विरासत में मिलेगा, लेकिन अधिग्रहणीय या हस्तांतरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों के मामले में दोनों पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होगा तथा एकल व्यक्ति द्वारा संचालित परिवार के मामले में एकल मुखिया के नाम पर पंजीकृत होगा और प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, विरासत में मिला अधिकार निकटतम रिश्तेदार को हस्तांतरित हो जाएगा।

ख) एफआरए की धारा 4(5) में कहा गया है कि "जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखदल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है"।

(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करना या किसी भूमि या परिसर या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उनके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करना या फसलों को नष्ट करना या वहां से उपज ले जाना अत्याचार का अपराध माना जाएगा और उक्त अधिनियम के तहत दंड के अधीन होगा।

(5) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिन्हें धारा 41 और 42 के तहत स्पष्ट किया गया है।

(i) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में भूमि स्वामियों के लिए मुआवजे का प्रावधान है। आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 की धारा 3(द) (ii) के अनुसार, 'भूमि स्वामी' में वह व्यक्ति शामिल है जिसे एफआरए, 2006 (2007 का 2) या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(ii) आरएफसीटीएलएआरआर की दूसरी अनुसूची में पहली अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त सभी प्रभावित परिवारों (भूमि मालिकों और ऐसे परिवारों जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहीत भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है।

(iii) आरएफसीटीएलएआरआर की तीसरी अनुसूची पुनर्वास क्षेत्र में उचित रूप से रहने योग्य और नियोजित बस्ती के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करती है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया [धारा 3 की उपधारा (ग)], मुआवजे की राशि का निर्धारण और गणना (धारा 26 से 29), साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए तंत्र (अध्याय V और VI) का भी उल्लेख किया गया है।

*****